

मुद्रा की वसूली नहीं लगती है।
Lul

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक
केस का प्रकार TA Misc. Case No. 124 / 2020-21

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
27.11.2020	आवेदक/आवेदिका दुखु सिंह, पिता-स्व० रामदास रवानी, जाति-कहार (अ.पि.वर्ग), ग्राम+थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा-नन्दपुर, थाना नं०-85, थाना-मनोहरपुर, खाता नं०-330, खेसरा नं०-824, रकवा-0.05 ए० भूमि क्रेता संक्रितन महतो, पिता-अनिल चन्द्र महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-बड़पोस, थाना-मनोहरपुर, जिला-प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>नन्दपुर</td><td>85</td><td>मनोहरपुर</td><td>330</td><td>824</td><td>0.05 ए०</td></tr></table> आवेदक ईलाज एवं अन्य घरेलु कार्यों में बिक्री हेतु 1,52,000/- (एक लाख बाबन हजार) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.05 ए० को कुल कीमत 1,52,000/- (एक लाख बाबन हजार) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी मनोहरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 14.12.2020 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 15.12.2020 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में	नन्दपुर	85	मनोहरपुर	330	824	0.05 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में									
नन्दपुर	85	मनोहरपुर	330	824	0.05 ए०									